बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

संकल्प

संचिका सं0–15/विविध निरी0प्रति0(नालन्दा) 07–26/2023–.....(15)/रा0, पटना–15, दिनांक–

श्री सोनू कुमार, तत्कालीन प्रभारी अंचल अधिकारी, हिलसा, नालन्दा के विरूद्ध दिनांक–13.09.2023 को अंचल–हिलसा, नालन्दा जाँच प्रतिवेदन के आलोक में विभाग स्तर पर आरोप पत्र का गठन किया गया। गठित आरोप पत्र में श्री कुमार के विरूद्ध दाखिल–खारिज वाद के कुल 210 वादों को एक बार अस्वीकृत करने के उपरांत पुनः स्वीकृत करने, जमाबंदी पंजी–II के कम्प्यूटरीकृत डाटा का मिलान सही प्रकार से नहीं किए जाने, मूल जमाबंदी से मिलान एवं ऑनलाईन प्रति का सत्यापन केवल कर्मचारी द्वारा किए जाने, भू–अभिलेखों के स्कैनिंग की गुणवत्ता की जाँच QC–I एवं QC–II शुरू नहीं किए जाने, स्कैन्ड भू–अभिलेखों का प्रिंट धूमिल तथा अस्पष्ट होने, अंचलाधिकारी को सरजमीनी सेवा का लॉगिन आई०डी० भी पता नहीं होने, हल्का+मौजा–आसारी में पुरानी पंजी मौजूद रहने के बावजूद नई पंजी सृजित किए जाने, अभियान बसेरा–2 प्रारंभ होने के बावजूद बसेरा–1 के तहत बंदोबस्ती किए जाने एवं गृहस्थल योजना के अंतर्गत मृत्य व्यक्ति के नाम से बंदोबस्ती किए जाने जैसे आरोप प्रतिवेदित है।

2. उक्त प्रतिवेदित आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक–807(15), दिनांक–03.05.2024 द्वारा श्री कुमार से स्पष्टीकरण की मांग की गयी, जिसके आलोक में श्री कुमार द्वारा अंचल कार्यालय–हरनौत, नालन्दा के पत्रांक–995 दिनांक–24.05.2024 से अपना स्पष्टीकरण विभाग को समर्पित किया गया।

3. आरोप पत्र में प्रतिवेदित आरोपों एवं आरोपी से प्राप्त स्पष्टीकरणं के समीक्षोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री कुमार के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया। विभागीय संकल्प सं0–1920(15) दिनांक–23.08.2024 द्वारा श्री कुमार के विरूद्ध गठित आरोप पत्र में अंकित आरोपों की विस्तृत जाँच हेतु बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम–17(2) के प्रावधानों के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। इस विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु तत्कालीन अपर सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, पटना को जाँच/संचालन पदाधिकारी तथा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, हिलसा, नालन्दा को उपस्थापन/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

4. संचालन पदाधिकारी–सह–तत्कालीन अपर सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, पटना के ज्ञापांक–164, दिनांक–02.05.2025 द्वारा श्री कुमार के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया, जिसमें आरोप सं0–01, 02, 07, 10 को प्रमाणित, आरोप सं0–03, 08 को आंशिक रूप से प्रमाणित एवं आरोप सं0–04, 05, 06, 09 को अप्रमाणित पाया गया।

प्रमाणित आरोपों के संदर्भ में आरोपी पदाधिकारी से विभागीय पत्रांक–987(15) दिनांक–16.06.2025 से द्वितीय कारण–पृच्छा की मांग की गयी। श्री कुमार द्वारा कार्यालय अंचल अधिकारी, हरनौत के पत्रांक–2019 दिनांक–03.10.2025 से द्वितीय कारण–पृच्छा/अभ्यावेदन विभाग को समर्पित किया गया।

5. आरोप पत्र में गठित आरोपों, संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं श्री कुमार से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा/अभ्यावेदन के अवलोकन/समीक्षोपरान्त पाया गया कि दाखिल–खारिज वादों को एक बार अस्वीकृत करने के बाद पुन स्वीकृत करने संबंधी प्रमाणित आरोप के संदर्भ में आरोपी पदाधिकारी का द्वित्तीय कारण पृच्छा अभ्यावेदन स्वीकार योग्य नहीं है कि क्योंकि एक बार वाद के अस्वीकृत हो जाने के

उपरांत पुनः उसी दस्तावेज पर वाद के स्वीकृत किए जाने के संदर्भ में तत्कालीन अंचल अधिकारी, हिलसा द्वारा अपने अधीनस्थ राजस्व कर्मचारियों के प्रतिवेदन / अनुशंसा को आधार बनाते हुए अपने बचाव में तर्क गढ़ने का प्रयास किया गया है जबकि आरोपी पदाधिकारी को सारे अभिलेखीय / स्थलीय साक्ष्यों/ तथ्यों की छान–बीन एवं जाँच पड़ताल करते हुए प्रश्नगत दाखिल–खारिज वाद की स्वीकृति / अस्वीकृति दी जानी चाहिए थी, न कि मात्र राजस्व कर्मचारी के प्रतिवेदन/अनुशंसा के आधार पर। साथ ही एक बार वाद के अस्वीकृत हो जाने के उपरांत पुनः उसी दस्तावेज पर आवेदन प्राप्त होने पर आवेदक को भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के न्यायालय में अपील हेतु निदेशित किया जाना चाहिए था, न कि दाखिल–खारिज वाद को स्वीकृत किया जाना चाहिए था।

बिहार दाखिल खारिज अधिनियम 2011 की धारा–5 (5) एवं नियमावली 2012 की धारा 5 (12) अंतर्गत अंचलाधिकारी के द्वारा भी जाँच किये जाने का प्रावधान है। आरोपी तत्कालीन अंचलाधिकारी, हिलसा के द्वारा दोनों दाखिल खारिज वाद में से किसी में भी स्वंय किसी प्रकार का कोई जाँच नहीं की गई जिसके कारण एक बार दाखिल खारिज वाद अस्वीकृत होने के उपरांत बिना बिहार दाखिल खारिज अधिनियम 2011 की धारा 7 अन्तर्गत अपील आवेदन में आदेश पारित हुए स्वीकृति दी गई है।

इसके अलावा यह भी स्पष्ट है कि दोनों ही दाखिल खारिज वाद में तत्कालीन अंचल अधिकारी, हिलसा द्वारा राजस्व अभिलेख का अवलोकन नहीं किया गया। यदि उनके द्वारा अवलोकन किया जाता तो एक ही आवेदक के दो अलग–अलग दाखिल–खारिज वाद में दो अलग–अलग तरह का आदेश पारित नहीं होता। इस प्रकार दाखिल खारिज संख्या वाद–2197/2022–23 में तत्कालीन अंचल अधिकारी, हिलसा द्वारा पारित आदेश बिहार दाखिल खारिज अधिनियम 2011 की धारा 5 (5). 7 एवं बिहार दाखिल खारिज नियमावली 2012 की धारा 5 (12) के विरूद्ध है। एक बार दाखिल खारिज वाद अस्वीकृत होने के उपरांत बिना बिहार दाखिल खारिज अधिनियम 2011 की धारा 7 अन्तर्गत अपील आवेदन में पारित आदेश के नहीं किया जाना होता है। इस प्रकार दाखिल खारिज वाद संख्या 3855/2022–23 में आरोपी पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश बिहार दाखिल खारिज अधिनियम 2011 की धारा 7 के विरूद्ध है।

जमाबंदी पंजी–II के कम्प्यूटरीकृत डाटा का मिलान सही प्रकार से नहीं किए जाने, मूल जमाबंदी से मिलान एवं ऑनलाईन प्रति का सत्यापन केवल कर्मचारी द्वारा किए जाने संबंधी आंशिक प्रमाणित आरोप के संदर्भ में आरोपी पदाधिकारी का द्वितीय कारण पृच्छा अभ्यावेदन स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि मूल जमाबंदी पंजी का ऑनलाईन जमाबंदी से मिलान 2 वर्ष पर्व से ही ROR के तहत चल रहा है। इतनी लंबी अवधि बीत जाने के बाद भी अंचल में ऑनलाईन जमाबंदी का मिलान मूल पंजी से कर सुधार नहीं किया जाना स्वीकार योग्य नहीं है। यदि ऑनलाईन जमाबंदी पंजी के सुधार किए जाने में कोई समस्या आ रही थी तो आरोपी पदाधिकारी द्वारा स्थल निरीक्षण का सहारा लेते हुए इस कार्य को संपूर्ण कराया जाना चाहिए था परंतु यह नहीं किया गया है। इसके साथ ही जिन जमाबंदी की जांच राजस्व कर्मचारी द्वारा किया जा चुका थी उसका सत्यापन आरोपी पदाधिकारी के द्वारा त्वरित रूप से करते हुए अंतिम रूप देना चाहिए था परंतु यह कार्य भी नहीं किया गया जो विभाग द्वारा दिए गए दिशा–निदेश के विरुद्ध है।

अंचलाधिकारी को सरजमीनी सेवा का लॉगिन आई०डी० भी पता नहीं होने संबंधी प्रमाणित आरोप के संदर्भ में आरोपी पदाधिकारी द्वारा अपने द्वितीय कारण पृच्छा अभ्यावेदन में स्वंय स्वीकार किया गया है कि उन्हें सरजमीनी सेवा पोर्टल का लॉगिन आई० डी० एवं पासवर्ड याद नहीं था। सरजमीनी सेवा का लॉगिन आई० डी० आरोपी पदाधिकारी को पता नहीं था एवं अंचल में कार्यरत ऑपरेटर द्वारा यह पोर्टल

लॉगिन कर खोला गया जो स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि यह कार्य आरोपी पदाधिकारी के द्वारा स्वयं नहीं कर ऑपरेटर को प्रत्यायोजित कर दिया गया है जो उचित नहीं है। एक अंचल अधिकारी की हैसियत से सरजमीनी सेवा का लॉगिन आई०डी० एवं पासवर्ड की जानकारी आरोपी पदाधिकारी को होनी चाहिए थी परंतु आरोपी पदाधिकारी द्वारा स्वंय स्वीकार किया जाना कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है, अंचल अधिकारी के पदीय उत्तरदायित्व/कर्त्तव्य के प्रति शिथिलता एवं उदासीनता का द्योतक है।

हल्का मौजा–आसारी में पुरानी पंजी मौजूद रहने के बावजूद नई पंजी सृजित किए जाने संबंधी प्रमाणित आरोप के संदर्भ में आरोपी पदाधिकारी द्वारा अपने द्वितीय कारण–पृच्छा अभ्यावेदन में यह अंकित किया जाना कि पूर्व से ही अंचल कार्यालय में पंजी संधारित है जिसके संबंध में उन्हें कोई जानकारी नहीं है, स्वीकार योग्य नहीं है, क्योंकि किसी भी मौजा में जमाबंदी पंजी की प्रति में संधारित किया जाना होता है। किसी भी मौजा में दो जमाबंदी पंजी का होना उचित नहीं है। यदि मौजा असाढी में दो पंजी कायम थी जिसमें से एक पंजी बिना आदेश के कायम की गई थी तो इस संबंध में आरोपी पदाधिकारी द्वारा जमाबंदी के संबंध में अपने वरीय पदाधिकारी को सूचना देते हुए आवश्यक कार्यवाई की जानी चाहिए थी जो नहीं की गई जो उनकी पदीय उत्तरदायित्व के प्रति शिथिलता एवं लापरवाही को दर्शाता है।

अभियान बसेरा–2 प्रारंभ होने के बावजूद बसेरा–1 के तहत बंदोबस्ती किए जाने एवं गृहस्थल योजना के अंतर्गत मृत्य व्यक्ति के नाम से बंदोबस्ती किए जाने संबंधी प्रमाणित आरोप के संदर्भ आरोपी पदाधिकारी का द्वितीय कारण पृच्छा अभ्यावेदन स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि इस मामले में लाभुक को मृत्यु वर्ष 2018 में ही हो चुकी थी। उनका सर्वेक्षण भूमिहीन की श्रेणी में किया गया जिसके लिए संबंधित राजस्व कर्मचारी के साथ–साथ आरोपी पदाधिकारी भी दोषी हैं। अभियान बसेरा अंतर्गत किसी भी लाभार्थी का बंदोबस्ती करने के पूर्व लाभुक की विधिवत् जांच की जानी होती है एवं अंचल अधिकारी द्वारा लाभुक का सत्यापन किया जाना होता है। आरोपी पदाधिकारी के द्वारा अंचल अधिकारी के रूप में चिन्हित लाभुक की जांच नहीं की गयी जिसके कारण मृत व्यक्ति के नाम से बंदोबस्ती परवाना स्वीकृत हुआ है। अतएव वर्णित तथ्यों के आलोक में आरोपी पदाधिकारी के विरूद्ध प्रमाणित आरोपों एवं आरोपी पदाधिकारी का द्वितीय कारण पृच्छा अभ्यावेदन स्वीकार योग्य नहीं है।

6. उक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में आरोपी पदाधिकारी से प्राप्त द्वितीय कारण–पृच्छा अभ्यावेदन स्वीकार योग्य नहीं होने के फलस्वरूप अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा आरोपी पदाधिकारी के विरूद्ध "निन्दन" एवं "संचयी प्रभाव के बिना 01(एक) वेतनवृद्धि पर रोक का दण्ड" अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया।

7. अतएव आरोप पत्र में अंकित आरोपों एवं संचालित विभागीय कार्यवाही में प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं आरोपी पदाधिकारी से प्राप्त द्वितीय कारण–पृच्छा अभ्यावेदन के समीक्षोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री सोनू कुमार, तत्कालीन प्रभारी अंचल अधिकारी, हिलसा, नालन्दा **सम्प्रति अंचल अधिकारी, हरनौत, नालन्दा** के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम–14(i) के तहत **"निन्दन"** (आरोप वर्ष–2023) एवं नियम–नियम–14(v) के तहत **"संचयी प्रभाव के बिना 01(एक) वेतन वृद्धि पर रोक का दण्ड"** अधिरोपित करते हुए विभागीय कार्यवाही समाप्त की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह0/–
(संजय कुमार सिंह),
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–15/विविध निरी0प्रति0(नालन्दा) 07–26/2023–593 (15)/रा0, पटना–15, दिनांक–22/04/2026

स्पीड–पोस्ट
ई–मेल

प्रतिलिपि :–समाहर्त्ता, नालन्दा/ कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, नालन्दा/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना **(मूल प्रति में)**/श्री सोनू कुमार, अंचल अधिकारी, हरनौत, नालन्दा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

22/4/26

(संजय कुमार सिंह),
सरकार के उप सचिव।